अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड

किसको मिल सकता है?

- सभी बचत, महाबैंक रॉयल बचत बैंक, चालू खाता (एकल स्वामी तथा वैयक्तिक), डायमंड चालू खाते (एकल स्वामी तथा वैयक्तिक) और एनआरआई ग्राहक सहित एलआईसी/एनएससी /एफडी के प्रतिभूति पर ओवरड्राफ्ट खाताधारक ग्राहक
- 10 वर्ष की या अधिक आयुवाले अवयस्क जो एकल बचत खाता रखते हैं
- "किसी एक को या उत्तरजीवी को देय" परिचालन निदेश वाले संयुक्त बचत खाताधारक

इस कार्ड का किधर उपयोग किया जा सकता है

- बैंक के एटीएम में
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड भारत में 32000 वीजा इलेक्ट्रॉन एटीएम में और दुनिया भर में 1000000 एटीएम में स्वीकृत है। यह कार्ड भारत में 350000 और विश्व स्तर पर लगभग 29 मिलियन मर्चंट आउललेट्स में स्विकार्य है।
- 7000 से ज्यादा पीओएस में

मुख्य लाभ

- सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत कार्ड के लाभ लीजिए और भारत व विदेश में वीजा लोगो दर्शानेवाले किसी भी एटीएम से आहरण की सुविधा लीजिए।
- वीजा इलेक्ट्रॉन मर्चंट दूकानों में यह आपकी इलेक्ट्रॉनिक पर्स के रूप में कार्य करेगा और आपके भुगतान करने पर धन तत्काल आपके खाते को नामे हो जाता है।
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम से कार्ड नजदीकी शाखा को भेंट न देते हुए आपको मिनि स्टेटमेंट या आपके खाते का शेष प्राप्त कराता है।
- कार्ड केवल बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम से लिंक किए गए खातों से नकदी आहरित कराता है।
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र के किसी भी एटीएम में आप अपना पिन बदल सकते हैं।

प्रचलन की अधिकतम सीमा

- एटीएम में : 4 संव्यवहार प्रति दिन सामान्य बचत खाता हेतु रु.20000/- प्रति दिन और महाबैंक रॉयल बचत खाता हेतु रु.50000/- प्रति दिन
- बिक्री बिंदुओं में : सामान्य बचत खाता हेतु रु.25000/- प्रति दिन और महाबैंक रॉयल बचत खाता हेतु रु.50000/- प्रति दिन

  उक्त सीमा शर्त के अधीन है कि कार्डधारक के खाते में पर्याप्त शेष है।

शुल्क / नवीकरण शुल्क

- प्रथम वर्ष के बाद वार्षिक प्रभार रु.100/- और लागू सेवा कर

- महाबैंक रॉयल बचत खाताधारकों के मामलों में कोई शुल्क नहीं

एटीएम नकद आहरण

- हमारे बैंक के एटीएम - शून्य
- अन्य बैंक के एटीएम
  भारत में
    - 5 संव्यवहार (वित्तीय व गैर-वित्तीय सहित) - कोई शुल्क नहीं
    - 6ठा संव्यवहार और आगे रु.20/- वित्तीय व रु.10/- गैर-वित्तीय हेतु

  विदेश में
    - रु.100/- प्रति संव्यवहार यूएसए हेतु और
      रु.105/- प्रति संव्यवहार अन्य देशों के लिए

शेष पूछताछ

- हमारे बैंक का एटीएम - शून्य
- अन्य बैंक के एटीएम
    - भारत में - ऊपर उल्लिखित 5 संव्यवहारों के लिए कोई शुल्क नहीं
    - विदेश में - रु.34/- प्रति संव्यवहार

बिक्री बिंदुओं में संव्यवहार

- पीओएस संव्यवहारों पर कोई सेवा कर नहीं लगाया जाता।
  सिवाय पेट्रोल पम्प पर किए गए संव्यवहारों और लागू रेलवे सेवा प्रभार उद्योग मानक प्रथाओं के अनुसार।

वैधता अवधि

- पूर्व में डेबिट कार्ड पांच वर्ष के लिए जारी किया जाता था, परन्तु अब यह 10 वर्षों के लिए जारी किया जाता है।

कार्ड खोने पर शून्य देयता बीमा कवर

- कार्ड खोने के रिपोर्टिंग के दिन व समय के बाद खरीदी हेतु उपलब्ध

कस्टमर केअर सेंटर

- पुणे में 24 घण्टे कस्टमर केअर सेंटर
- टोल फ्री नंबर 1800 233 4526

डेबिटकार्ड क्या है?

- डेबिट कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक पर्स है, जो कार्डधारक को एटीएम से नकदी आहरण की सुविधा देता है और उसे मेंबर एस्टैब्लिशमेंट से माल/सेवा खरीदी हेतु सक्षम/समर्थ बनाता है। डेबिट कार्ड अधिकतर वीजा या मास्टर कार्ड के सहयोग से जारी किए जाते हैं।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र का डेबिट कार्ड क्या है?

- बैंक वीजा के सहयोग से विश्वभर में स्वीकृत डेबिट कार्ड जारी कर रहा है, जो ग्राहक के खाते का उपयोग करने हेतु सबसे आसान मार्ग है। यह डेबिट कार्ड ग्राहक को वीजा इलेक्ट्रॉन मर्चंट एस्टैब्लिशमेंट से माल खरीदी और भारत या विदेश में किसी भी वीजा एटीएम से नकदी आहरण की सुविधा प्रदान करता है। यह 24 घण्टे बैंकिंग सुविधा है।

डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फर्क है?

डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड मूल फर्क यह है कि डेबिट कार्ड ग्राहक को उसके खुदके धनका उपयोग करने की सुविधा देता है जहां क्रेडिट कार्ड एक ऋण का प्रकार है और बैंक द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधा है। डेबिट कार्ड के मामले में ग्राहक के खाते को ऑनलाइन नामे किया जाएगा, इसमें बिल प्राप्त होने की, नियत तारिख को भुगतान करने की, भुगतान न किए गए राशि पर ब्याज का भुगतान आदि की परेशानी नहीं है।

डेबिट कार्ड के लाभ क्या हैं?

- डेबिट कार्ड भुगतान करने के लिए अत्यंत सुविधाजनक है। यह ग्राहक को अपने साथ ज्यादा नकदी लेकर चलने की आवश्यकता को कम कर देता है। साथ ही, ग्राहक का अपने वित्त पर सदैव नियंत्रण रहता है क्योंकि वह उतना ही खर्च कर सकता है जितना उसके खाते में शेष है।
- कोई ब्याज/सेवा कर नहीं।
- सीमित खर्च करने की भारतीय मानसिकता के लिए अनुकूल।
- डेबिट कार्ड अनिवार्य आय कर रिटर्न भरने हेतु सूची में समाविष्ट नहीं है।
- पीओएस में उपयोग कर सकते हैं, अतः नकदी लेकर चलने की आवश्यकता नहीं।
- एटीएम में वही कार्ड उपयोग कर सकते हैं।

क्या संयुक्त खाते के मामले में ग्राहक को अतिरिक्त कार्ड मिलने का हकदार है?

- "किसी एक को या उत्तरजीवी को देय" वाली परिचालन निदेश वाले सभी संयुक्त खाताधारक उनके नाम पर अतिरिक्त कार्ड मिलने हेतु पात्र हैं।

डेबिट कार्ड जारी करने के लिए क्या प्रभार हैं?

- डेबिट कार्ड जारी करने के लिए कोई प्रभार नहीं हैं। परन्तु पहले वर्ष के बाद महाबैंक रॉयल बचत खातों को छोडकर सभी कार्डधारकों को लागू रखरखाव प्रभार रु.100 + सेवा कर लगाया जाता है।

डेबिट कार्ड मिलने पर ग्राहक क्या करें?

- ग्राहको को सलाह दी जाती है कि तत्काल कार्ड के पीछे पैनल पर हस्ताक्षर करें। तथापि, ग्राहक को कार्ड का वितरण करने से पहले किसी संभव गैर-उपयोग टालने के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि ग्राहक पहले कार्ड का उपयोग एटीएम में करें, जिसके लिए पिन प्रविण्ट करने की आवश्यकता होती है। डेबिट कार्ड का एटीएम में उपयोग करने के बाद ही वह पीओएस में उपयोग हेतु सक्रिय किया जाएगा।

पिन क्या है?

पिन चार अंकों का वैयक्तिक पहचान क्रमांक है, जो ग्राहक को बंद जैकेट में जारी किया जाता है और उसको अलग से वितरित किया जाता है। ग्राहकों को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि पिन जैकेट उसे बगैर खोला हुआ मिल जाता है और उनसे अनुरोध है कि वह किसी भी परिस्थिति में अपना पिन बदल देते हैं। पिन, बैंक के अधिकारियों सहित, किसी को भी बताया न जाए।

डेबिट कार्ड की प्राप्ति पर ग्राहक को क्या करना चाहिए?

- ग्राहको को सलाह दी जाती है कि तत्काल कार्ड के पीछे पैनल पर हस्ताक्षर करें। तथापि, ग्राहक को कार्ड का वितरण करने से पहले किसी संभव गैर-उपयोग टालने के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि ग्राहक पहले कार्ड का उपयोग एटीएम में करें, जिसके लिए पिन प्रविष्ट करने की आवश्यकता होती है। डेबिट कार्ड का एटीएम में उपयोग करने के बाद ही वह पीओएस में उपयोग हेतु सक्रिय किया जाएगा।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र का डेबिट कार्ड कहां स्वीकार्य है?

- बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड भारत में 32000 वीजा इलेक्ट्रॉन एटीएम में और दुनिया भर में 1000000 एटीएम में स्वीकृत है। यह कार्ड भारत में 350000 और विश्व

स्तर पर लगभग 29 मिलियन मर्चंट आउटलेट्स में स्विकार्य है। यह कार्ड आपको, खाते से अधिक राशि आहरण के संभावना के बिना, नकदी रहित खरीदी हेतु सक्षम बनाता है।

एटीएम में क्या सुविधा उपलब्ध हैं?

- बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम नेटवर्क से ग्राहक नकदी आहरित कर सकेगा है, अपने खाते का शेष पूछताछ कर सकेगा, अपना पिन बदल सकेगा तथा अपने खाते का मिनि स्टेटमेंट प्रिंट कर सकेगा। तथापि, अन्य सभी बैंकों के एटीएम में वह केवल नकदी आहरण और शेष पूछताछ कर सकेगा।

एटीएम में कार्ड का उपयोग करने के लिए क्या प्रभार हैं?

- बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अपना एटीएम में कार्ड के उपयोग पर कोई प्रभार नहीं हैं। तथापि, यदि कार्ड का उपयोग अन्य बैंकों के एटीएम में किया गया, भारत में या विदेश में, तो ग्राहक को टैरिफ के अनुसार प्रभार देना पडेगा, जो समय-समय पर बैंक द्वारा घोषित किए जाएंगे।

और पीओएस में कार्ड के उपयोग पर क्या प्रभार हैं?

- पीओएस में कार्ड के उपयोग पर कोई प्रभार नहीं हैं, चाहे भारत में या विदेश में, सिवाय यदि कार्ड का उपयोग पेट्रोल पम्प तथा भारतीय रेलवे में किया गया है, ग्राहक को नाममात्र प्रभार देने होंगे।

विदेश में आहरित राशि या भारत के बाहर की गई खरीदी की राशि खाते को कैसे नामे की जाती है?

- सामान्यतः ग्राहक के खाते में उपलब्ध शेष के बराबर नकदी आहरित तथा खरीदी का भुगतान किया जा सकता है। तथापि, सुरक्षा कारणों से बैंक ने एटीएम में सामान्य बचत खाता हेतु प्रति दिन रु.20000/- नकदी आहरण तथा पीओएस में खरीदी के लिए रु.25000/- की और महाबैंक रॉयल बचत खाता हेतु रु.50000/- प्रति दिन नकदी आहरण तथा रु.50000/- प्रति दिन पीओएस में खरीदी की सीमा रखी है बशर्ते कि बचत खाते में पर्याप्त शेष उपलब्ध है। यह सीमा कार्ड के 4 संव्यवहार प्रतिदिन के अधीन है।

क्या विदेशी संव्यवहारों के लिए बैंक को कोई औपचारिकताएं पूरी करने की आवश्यकता है?

- नहीं, ग्राहक ने केवल अपनी विदेशी मुद्रा विनिमय पात्रता/एन्टायटलमेंट के अनुसार कार्ड का उपयोग करने की आवश्यकता है और फेमा 1999 के अंतर्गत आवश्यक औपचारिकताएं ग्राहक द्वारा अनुपालन करने की आवश्यकता है।

डेबिट कार्ड के मामले में भुगतान का माध्यम क्या होगा?

- खरीदी की राशि या एटीएम से निकाली गई नकदी के बराबर राशि ग्राहक के खाते को तत्काल नामे की जाएगी। अतः यहां क्रेडिट कार्ड जैसा मासिक बकाया शेष नहीं होगा।

यदि ग्राहक पीओएस को माल लौटाता/वापस करता है या संव्यवहार निरस्त करता है तो क्या उसका खाते को ऑनलाइन जमा किया जाएगा?

- यदि ग्राहक तत्काल संव्यवहार निरस्त करता है तो उसके खाते को तत्काल जमा किया जाएगा. तथापि, यदि कोई ग्राहक बाद में माल वापस करता है तो व्यापारी हमारी बेस (गृह) शाखा को अधिग्रहण (एक्वायरर) के माध्यम से भुगतान करेगा। स्विच उसके बाद ग्राहक के खाते को जमा करेगा।

डेबिट कार्ड के खोने पर क्या कार्यविधि पालन/अनुसरण करना है?

- कार्ड के खोने पर ग्राहक को तत्काल फोन पर हमारे 24 घण्टे कस्टमर केअर टोल फ्री क्रमांक 1800 233 4526 पर रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता है। उसको नजदीकी पुलिस स्टेशन को कार्ड खोने की रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता है और पुलिस की पावती की प्रति के साथ शाखा को लिखित रूप से सूचना देने की आवश्यकता है।

ग्राहक को खोए हुए कार्ड की रिप्लेसमेंट कब मिलेगी?

- उपर्युक्त जानकारी के प्राप्त होने पर तथा ग्राहक के बेस शाखा से रिप्लेसमेंट कार्ड जारी करने का अनुरोध प्राप्त होने पर ग्राहक को रिप्लेसमेंट कार्ड जारी किया जाएगा।

कार्ड के खोने/गलत जगह जाने पर ग्राहक उसका दुरुपयोग कैसे टाल सकता है?

ग्राहको ने बैंक को डेबिट कार्ड खोने की रिपोर्ट/सूचना देने के बाद उसको कार्ड के दुरुपयोग/हानि से बचाया जाता है। उनको अपने आप बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। कृपया नोट करें कि यह कवर ग्राहक को पीओएस में कार्ड के दुरुपयोग के लिए उपलब्ध होगा क्योंकि पिन के बगैर एटीएम में कार्ड का दुरुपयोग संभव नहीं है। ग्राहक ने उसका पिन किसी को बताना नहीं है तथा कहीं अभिलेख में रखना नहीं है।